

September 4, 2025

To,
The General Manager,
Deptt of Corporate Services, **BSE Limited,**P.J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400001

Equity Scrip code: 543249 Debt Scrip Code: 976606

Subject: Newspaper Publication

Dear Sir,

To,
The Vice President,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400051

Scrip Symbol: TARC

In compliance with Regulation 30 and 51 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kindly find enclosed herewith copies of Newspaper advertisement as published today in Hindi and English edition of Business Standard.

You are requested to kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For TARC Limited

Amit Narayan Company Secretary A20094

Encl.: As above

विजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली । गुरुवार, 4 सितंबर 2025

टीएआरसी लिमिटेड

(सीआईएन: L70100DL2016PLC390526) पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय मंजिल, सी-3, कुतुब इन्स्टिटूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली -110016 दूरभाष: 011-41244300, ई-मेल: tarc@tarc.in, वेबसाइट: www.tarc.in



विडियो कान्फ्रैसिंग (वीसी)/अन्य आडियो विजुवल माध्यम (ओएवीएम) द्वारा 9 (नौवीं) वार्षिक साधारण बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग की जानकारी

एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि टीएआरसी लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 9 (नौवीं) वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम अथवा बैठक") वीरवार, सितम्बर 25, 2025 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) पर विडियो कान्फ्रैसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुवल माध्यम ("ओएवीएम") की सुविधा द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जायेगी। एजीएम का स्थल कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय माना जायेगा।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये सभी लागू प्रावधानों एवं नियमों एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वो एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 साथ में पठित कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी साधारण परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक सितम्बर 19, 2024, साथ में पठित पिछले परिपत्रों (संयुक्त रूप में संदर्भित "एमसीए परिपत्रों") एवं सिक्योरीटीज एण्डं एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/डीडीएचएस-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2025/83 दिनांक जून 05, 2025, एवं परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक अक्टूबर 03, 2024, साथ में इस सम्बन्ध में पिटत पिछले परिपत्रों (संयुक्त रूप में संदर्भित "सेबी परिपत्रों") के अनुपालन में कम्पनी की एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम की सुविधा द्वारा किया जायेगा।

एमसीए परिपत्रों एवं सेवी परिपत्रों के अनुपालन में एजीम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 की वाषिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों जिनके नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉटरीज द्वारा बनाये गये लाभदाई स्वामी की पंजिका में अंकित थे और जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉटरीज भागीदारों/रजिस्ट्रार के पास शुक्रवार, अगस्त 29, 2025 को पंजीकृत थे, को केवल इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा भेज दी गई हैं। कम्पनी ने उनको भेजने का कार्य सितम्बर 03, 2025 को पूरा कर लिया है। एजीम की सूचना के साथ वाषिर्क रिपोट कम्पनी की वेबसाइट www.tarc.in एवं दोनों स्टॉक एक्सचेन्जों की वेबसाइट i.e बीएसई लिमिटेड की www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की www.nseindia.com एवं नेशनल सिक्योरीटीज डिपॉटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ केवल उन सदस्यों को भेजी जायेंगी जिन्होंने स्पष्ट रूप से इनके लिए अनुरोध किया है।

सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओएवीम की सुविधा से उपस्थित एवं भाग ले सकते हैं [जो कि कम्पनी द्वारा एनएसडीएल से उपलब्ध कराया जा रहा है], जिसका विवरण कम्पनी द्वारा एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत वीसी/एओवीएम द्वारा भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कोरम के उद्शय के लिए की जायेगी। सदस्यों द्वारा प्राक्सीज की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, चूकि एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम की सुविधा द्वारा किया जा रहा है।

कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम में व्यवसायों के निष्पादन किये जाने के सम्बन्ध में एनएसडीएल के द्वारा ई-वोटिंग की सुविधा यानि रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग प्रदान करने में प्रसन्न है। कट-ऑफ तिथि यानि शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025 को भौतिक प्रपन्न अथवा डिमेंटरलाइज प्रपन्न में शेयर धारित सदस्य एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रानिकली अपना वोट दे सकते हैं। वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि को कम्पनी की चुकता इक्वीटी कैपीटल में उनके द्वारा धारित इक्वीटी शेयर्स के अनुपात में होगा।

एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉटरीज द्वारा बनाये गये लाभदाई . स्वामी की पंजिका में अंकित होगा, केवल वही एजीएम में ई-वोटिंग के साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी के उदेश्य से लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, जिसने कम्पनी के शेयर्स अधिग्रहित किये हों और एजीएम की सूचना को भेजने के बाद सदस्य बना हो और कट-ऑफ़ तिथि को शेयर्स धारण करता हो, एजीएम में शामिल होने और वोट देने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है जिसका विस्तारित तरीका एजीएम की सूचना में

एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसायों को केवल इलेक्ट्रानिक वोटिंग यानि रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग माध्यम द्वारा निष्पादित किया जायेगा। सदस्य वोटिंग के लिए केवल एक माध्यम चन सकता है यानि रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट देने के हकदार होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना वोट दें दिया है, एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम में फिर से अपना वोट देने के हकदार नहीं होंगे। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद इसे बदलने अथवा दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्न अविध के दौरान उपलब्ध होगी:

ई-वोटिंग प्रारम्भ प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) सोमवार, सितम्बर 22, 2025 रिमोट ई-वोटिंग समापन

सायं 5.00 बजे (आईएसटी) बुधवार, सितम्बर 24, 2025 उपरोक्त 'तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनमति नहीं दी जायेगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल को निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

निर्देशक मंडल ने मृत्युंजय शेखर एण्ड एसोसियेट्स, कम्पनी सचिवों के श्री मृत्युंजय चन्द्र शेखर (एफसीएस-12594, सी॰ पी॰ न॰ 20871) को एजीएम के दौरान ई-वोटिंग एवं रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके

से संचालन के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग एवं एजीएम में भाग लेने के लिए एजीएम की सूचना में दिये गये अनुदेशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। किसी भी प्रश्न/किंटनाई के लिए सदस्य 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी महात्रे-वरिष्ठ प्रबन्धक, एनएसडीएल को evoting@nsdl.com पर आग्रह भेज सकते हैं अथवा कम्पनी के कम्पनी सचिव को cs@tarc.in पर लिख सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए अगस्त 29, 2025 को बिजनेस स्टैंन्डर्ड अखबार के हिन्दी एवं अग्रेजी संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन का संदर्भ लें।

कृते टीएआरसी लिमिटेड हस्ता०/-अमित नारायण कम्पनी सचिव (एसीएस 20094)

तिथि : सितम्बर 03, 2025 स्थान: नई दिल्ली

TARC LIMITED

(CIN: L70100DL2016PLC390526) Registered office: 2nd Floor, C-3, Qutab Institutional Area Katwaria Sarai, New Delhi-110016 Tel: 011-41244300, Email: tarc@tarc.in, Website: www.tarc.in



NOTICE OF 9™ (NINETH) ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) /OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND INFORMATION ON E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 9th (Nineth) Annual General Meeting ("AGM" or "Meeting") of the members of TARC Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 25, 2025 at 12:00 Noon (IST) through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the businesses as set-out in the notice of AGM. The deemed venue of the AGM shall be the registered office of the Company.

In compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 read together with the previous circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") in this regard (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/ P/CIR/2025/83 dated June 05, 2025 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 read together with the previous circulars issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") in this regard (hereinafter referred to as "SEBI Circulars"), the AGM of the Company will be held through VC or OAVM facility. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, notice of AGM along with Annual Report of the Company for the financial year 2024-25 has been sent only through electronic mode to all those members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories and whose e-mail address are registered with the Company / Depository Participant(s) / Registrar as on Friday, August 29, 2025. The Company has completed their dispatch on September 03, 2025. Notice of AGM along with Annual Report is also available on the website of the Company at www.tarc.in and on the website of both the stock exchanges i.e BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. The physical copies of notice of AGM along with Annual Report shall be dispatched only to those members who explicitly requested for the same

Members can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only [which is being availed by the Company from NSDL], the details of which are provided by the Company in the notice of AGM. Members attending AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of proxies by the members will not be available since the AGM is being held through VC / OAVM

The Company is pleased to provide e-voting facilities i.e. remote e-voting or e-voting at the AGM through NSDL to its members, in respect of the businesses to be transacted at the AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on cut-off date i.e. Friday, September 19, 2025 may cast their vote electronically on the resolutions set out in the AGM Notice. The voting rights shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of notice of AGM and holds shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password for jointing the AGM and casting vote in the manner as detailed in the notice of AGM.

The Ordinary and Special Business as set out in the notice of AGM shall be transacted through voting by electronic means only i.e. by remote e-voting or e-voting at the AGM. The members can opt for only one mode of voting i.e. remote e-voting or e-voting at the AGM. Members attending the AGM who have not casted their vote by remote e-voting, shall be entitled to vote at AGM through e-voting system. Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the AGM. Once the vote on a resolution is casted by the member, he shall not be allowed to change it subsequently or cast

The remote e-voting facility will be available during the following period:

Commencement of remote e-voting

9.00 A.M. (IST) on Monday, September 22, 2025

End of remote e-voting

5.00 P.M. (IST) on Wednesday, September 24, 2025

The remote e-voting shall not be allowed beyond aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of aforesaid period.

The Board of Directors has appointed Mr. Mritunjay Chandra Shekhar (FCS-12594, C.P. No. 20871) of Mritunjay Shekhar & Associates, Company Secretaries as scrutinizer to scrutinize the e-voting during the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner

Members are requested to read carefully the instruction given in the notice of AGM for e-voting and attending the AGM. In case of any queries / difficulties, members may call on 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com or write to the Company Secretary of the Company at cs@tarc.in.

Members are requested to refer newspaper advertisement published in Hindi and English edition of Business Standard on August 29, 2025 for further details pertaining to the AGM.

For TARC Limited Sd/ **Amit Naravan** Company Secretary (ACS 20094)

Date: September 03, 2025

Place: New Delhi